न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 102/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूलाल पिता स्वर्गीय दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगन्नाथ पिता स्वर्गीय दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. खेमराज पिता स्वर्गीय दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पुष्कर पिता वरदीचन्द जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती ममता पत्नी लोकेश जी डांगी, निवासी डागलियों की मगरी, भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती परता बाई पत्नी स्वर्गीय दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. वरदीचन्द पिता स्वर्गीय दुदा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. का. अ.
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा दिनांक
08.09.2016, प्रकरण संख्या 124/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मनोज सिरोहिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री आलोक जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक 22–01–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भुवाणा में साबिक आराजी नंबर 1423 से 1455 एवं 1471 से 1477 कुल किता 40 रकबा 37 बीघा भूमि स्थित है, जिसे स्वर्गीय दूदा पिता कूका जी ने दिनांक 27–01–1953 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से दूदा जी उक्त भूमि के खातेदार एवं आधिपत्यधारी रहे। उक्त भूमि दूदा जी की क्रय शुदा होकर उनकी निजी सम्पत्ति थी। दूदा जी की मृत्यु दिनांक 19–05–2010 को हो गयी। उक्त साबिक आराजी के हाल नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार हैं।

उपरोक्त आराजियात में से कई आराजियात दूदा जी ने विक्रय कर दी एवं शेष बची जमीन आराजी नंबर 2022 रकबा 0.5800 हैक्टर में से कुछ जमीन विक्रय कर देने के बाद शेष बची भूमि प्रार्थीगण को कलम संख्या 3 अनुसार दिनांक 29–11–2006 को वसीयत कर दी। दूदा जी द्वारा पंजीकृत वसीयत में दी गयी उपरोक्त भूमियों के वादीगण कानूनन खातेदार हो गये तथा अपनी–अपनी जमीन पर काबिज चले आ रहे हैं, जिसमें प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 दूदा जी के एक अन्य पुत्र मृतक किशनलाल जी पुत्री है, जो अपनी ससुराल में रहती है। वादीगण ने वसीयत के आधार पर उपरोक्त भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने की कार्यवाही की, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ममता द्वारा एतराज करने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं हो सकी, बल्कि तहसीलदार ने विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोल दिया, जिसकी अपील वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में कर रखी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की उक्त भूमि में हस्तक्षेप कर जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भी जिनको दूदा दी ने उक्त भूमि में हिस्सा नहीं दिया है, वे भी हिस्सा प्राप्त करने व हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं, इस हेतु दिनांक 09–03–2014 को तीनों प्रतिवादीगण ने वादीगण की उक्त भूमियों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। निवेदन किया कि स्वर्गीय दूदा जी की स्वअर्जित उक्त सम्पत्तियों का

पंजीकृत वसीयत दिनांक 29–11–2006 के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि दूदा जी ने वसीयत में जो–जो सम्पत्तियां वादीगण को दी, जिसके दूदा जी के मृत्यु के बाद कानूनन वे खातेदार हो जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 दूदा जी के अन्य पुत्र किशनलाल की पुत्री है, जो शादी शुदा होकर अपनी ससुराल में रहती है। जमीन दूदा जी की स्वअर्जित होने से उसमें प्रतिवादी संख्या 1 ममता का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी दिनांक 02–06–2015 को खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि विवादित भूमि के दूदा जी के पिता कूका जी शिकमी काश्तकार थे व उन्हीं का कब्जा था। वादी द्वारा जो विक्रय बताया जा रहा है, वो नुमाईशी विक्रय पत्र है। उक्त भूमि दूदा जी की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है। आराजी नंबर 2022 के सभी खातेदार को वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। वादीगण के पक्ष में दूदा जी द्वारा जो वसीयत की गयी है वह संदिग्ध है, क्योंकि वसीयत के समय दूदा जी बीमार, वृद्ध व असहाय थे। वसीयत के आधार पर वादीगण को उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वसीयत के संबंध में वसीयत की सत्यता को सक्षम सिविल न्यायालय से साबित कराया जाना आवश्यक है, राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा बिना वादकरण संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर जो वाद पेश किया गया है, वह खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने अतिरिक्त जवाब में निवेदन किया कि इन्हीं भूमियों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां वाद विचाराधीन है, जिसमें स्वयं दूदा जी ने जवाबद दिया तथा भूमि को कहीं पर भी खरीद शुदा नहीं बताया है, बल्कि भूमि को कोपासनरी के बताते हुए व कुका जी की मृत्यु के वक्त दूदा अकेली संतान होने से भूमि उसमें समाहित हुई है, इस कारण स्वअर्जित भूमि नहीं है। वादीगण द्वारा सभी सहखातेदारों को

पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा उन्हें वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा के पिता कुका जी की शिकमी में दर्ज थी, बाद में कूका जी के मरने के बाद दूदा जी के नाम आयी व दूदा जी के मरने के बाद उक्त भूमियों प्रथम श्रेणी के पास आयी व उनमें समाहित हुई, परन्तु रेकार्ड में नाम दूदा जी का ही चलता रहा। दूदा जी का स्वर्गवास दिनांक 19–05–2010 को हो चुका है व उनकी सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगणों के मध्य भूमि विरासत व वसीयत के आधार पर कराने का विवाद था, जिसके संबंध में तहसीलदार बड़गांव के यहां कार्यवाही चले व तहसीलदार द्वारा विरासत के आधार का नामान्तरकरण खोलने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण की अपील जिला कलक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा वादीगण ने स्थगन भी ले रखा है। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुए भी वादी संख्या 2 द्वारा अन्य वादीगणों से मिलीभगत से तहसीलदार के यहां वसीयत के आधार पर नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि वादीगण अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जा चुके हैं। तहसीलदार द्वारा आराजी नंबर 1921 व 1922 का नामान्तरकरण वादी संख्या 2 के पक्ष में दर्ज करने का आदेश दिया जो गलत है। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 3629 दिनांक 03–01–2014 से वादी संख्या 2 के नाम नामान्तरित कर दी गयी, इस कारण यह घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। निवेदन किया कि नामान्तरकण संख्या 3629 को शून्य एवं अवैध घोषित किया जाकर दूदा जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान में बहिस्सा बराबर–बराबर जमाबन्दी में दर्ज कराने का आदेश प्रदान किया जावे तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के स्वत्व एवं हिस्से की भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करें तथा भूमि का रहन, बेह, बक्षीस इत्यादि नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त काउण्टर क्लेम के खण्डन का जवाब भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 11–05–2015 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 के संबंध में वादीगण ने वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया है। किसी भी सम्पत्ति का यदि दो पक्षों के मध्य विवाद है तो ऐसे दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से साबित करवाया जाना जरूरी है व वसीयत की विधि मान्यता प्राप्त करने के लिए वादीगण को सक्षम न्यायालय (सिविल न्यायालय) में चाराजोही करनी थी व सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय करवाने थे, परन्तु उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में वाद दायर किया गया है, जो विधि के विपरीत है। वादीगण द्वारा घोषणा के वाद में सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं है इसलिए कानून वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त वादीगण का वाद विरूद्ध होने से खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब देते हुए वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण पंजीकृत वसीयत के आधार पर वाद लेकर आये हैं, प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वसीतय के संबंध में यदि कोई एतराज है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते हैं। जिन लोगों को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना था उन्हें वादीगण द्वारा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की परिधि में नहीं आता है। फिर भी यदि को एतराज लेना होता तो वह जवाबदावे में लिया जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं लिया गया है। अतएवं प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद पेश शुदा न्यायिक नजीरों का अवलोकन कर दिनांक 08–09–2016 को अत्यन्त सरसरी एवं संक्षिप्त निम्नानुसार निर्णय पारित किया :–

''वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर न्यायालय का मत है कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खुल चुका है। वादी अब वसीयत के आधार पर घोषणा चाहते हैं परन्तु तथाकथित वसीयत विवादित है ऐसे में वादी सक्षम न्यायालय से अपनी वसीयत को प्रमाणित कराने के उपरान्त ही अपने खातेदारी अधिकारों का क्लेम कर सकता है। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।''

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री हितेश जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ही उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं कानून के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया था, उसके बाद तनकियात बनाकर शहादत लेकर ही निर्णय किया जाना चाहिए था। आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में केवल वाद के तथ्यों को ही देखा जाता है और वाद में खातेदारी एवं निषेधाज्ञा मांगी गयी थी, जो केवल राजस्व न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के डिफेन्स को देखे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। कानून का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि प्रतिवादी जिस दस्तावेज को फर्जी होना कहता है, तो यह जिम्मेदारी उसकी है कि वह उसे सिविल कोर्ट से निरस्त करावे। यदि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी ममता वसीयत को फर्जी मानती है तो उसके पास ही यह विकल्प है कि वह उसे सिविल कोर्ट से निरस्त करावे। अपीलान्ट/वादीगण को सिविल कोर्ट जाने की न तो आवश्यकता है, न ही सिविल कार्ट से इसे प्रमाणित कराने की आवश्यकता है। अधिनस्थ

न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वादीगण/अपीलान्ट पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर वाद लेकर आये हैं, जिसे प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 संदिग्ध होने का कथन कर राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने का कथन करते हैं तथा सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा वाद हेतुक के सन्दर्भ में वाद को विधि विरूद्ध बताते हुए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर वाद खारिज करने का अनुरोध किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिर्फ क्षेत्राधिकार के आधार पर फाईडिंग देकर वाद को विधि विरूद्ध मानकर खारिज कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद हेतुक तथा अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत् कोई फाईडिंग नहीं दी है। स्पष्टया अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा अपना वाद हेतुक प्रकट किया गया है। अतएवं वाद हेतुक होने के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने का उजर उठाया है, इस आधार पर वाद को विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता है तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इस तथ्य को अपने जवाबदावे में उठाया जा चुका है। अतएवं पृथक से इस आधार पर कि अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अब हमारे समक्ष सिर्फ यह स्थिति रह जाती है कि पंजीकृत वसीयत के आधार पर यदि कोई वाद लेकर आता है तथा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट उसे संदिग्ध मानकर यह कथन कहता है कि राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए वाद क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सिर्फ वादी की नजीरों का अध्ययन करने के बाद यह विवेचित करते हुए कि भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर खुल चुका है। वादी अब वसीयत के आधार पर घोषणा चाहते हैं, परन्तु तथाकथित वसीयत विवादित है ऐसे में वादी सक्षम न्यायालय से अपनी वसीयत को प्रमाणित कराने के उपरान्त ही अपने खातेदारी अधिकारों का क्लेम कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेश

शुदा न्यायिक नजीरों का विवेचन नहीं किया गया है तथा नामान्तरकरण खुल जाने बाबत् भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानकर अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया गया है।

आश्चर्य जनक रूप से यह भी अवलोकनीय है कि काश्तकारी कानून में धारा 39 के तहत वसीयत से खातेदारी अधिकारों का अन्तरण किये जाने का वर्णन है अर्थात राजस्व न्यायालय में वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार दिये जाने के प्रावधान हैं। यह भी सुस्पष्ट स्थिति है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार से जब किसी को वंचित किया गया हो, जो इस वसीयत में भी है। अर्थात जब भी कोई वसीयत निष्पादित होगी तो सम्भावना यह रहती है कि प्राकृतिक उत्तराधिकारियों में से किसी का चयन किया गया है एवं किसी को वंचित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी का यह कथन है कि वसीयत संदिग्ध है। वसीयत के सन्दर्भ में वंचित पक्ष का हमेशा यही कथन रहेगा कि वसीयत फर्जी है। प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से पंजीकृत वसीयत जो वादीगण के पक्ष में की गयी है, उसे प्रतिवादी संदिग्ध होने का कथन करता है तथा वह जिस वसीयत को संदिग्ध बताता है उसके सन्दर्भ में वादीगण को अपना हक तय करवाने के लिए राजस्व न्यायालय के स्थान पर सिविल न्यायालय जाने का कथन करता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस पक्षकार ने भी प्लीडिंग की है, सिद्ध करने का दायित्व उसका होता है तथा उसे इस सन्दर्भ में वांछनीय कार्यवाही/साक्ष्य प्रस्तुत करनी होती है। इस प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट वसीयत को संदिग्ध होने का कथन करते हैं तो पंजीकृत वसीयत को अवैध/वोईडेबल होने के सन्दर्भ में उन्हें सिविल न्यायालय जाना चाहिए, न कि पंजीकृत वसीयत के होल्डर वादीगण को प्रतिवादी के कथन के आधार पर अपनी वसीयत के बारे में काश्तकारी कानूनों के तहत वर्णित अधिकारों का निर्धारण सिविल न्यायालय से करवाया जाना चाहिए।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर 2017 (2) सिविल टाईम्स (राज.) पेज 830 पेश की है, जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वसीयत के संबंध में तनकी बनायी जाकर राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। इस न्यायिक नजीर से यह सुस्पष्ट है कि

वसीयत के सन्दर्भ में क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का होता है। तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 773 पेश की गयी है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत को संदेहास्पद पाया गया। अर्थात वसीयत के संदेहास्पद होने के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1355 पेश की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नामान्तरकरण के आधार पर अधिकार तय नहीं होते बल्कि राजस्व न्यायालय से अधिकारों का विनिश्चियन होता है। तद्नुसार यह नजीर भी इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2008 (2) पेज 1284 पेश की है, जिसमें भी राजस्व न्यायालयों में वसीयत से संबंधित विषयों का निर्धारण किये जाने का न्यायिक विनिश्चयन है। अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 14.1.2011 पेज 8 पेश की है, जिसमें भी राजस्व न्यायालय का वसीयत के आधार पर क्षेत्राधिकार माना गया है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 1998 पेज 103 प्रस्तुत की है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत के अवैध होने की घोषणा का वाद नहीं हो तो राजस्व न्यायालय का निसंदेह क्षेत्राधिकार रहता है। अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. पेज 135 पेश की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि मुस्लिम विधि अनुसार निष्पादन वसीयत के सन्दर्भ में भी राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1972 पेज 129 पेश की है, जिसमें वाद पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का विनिश्चयन किये जाने का कथन किया गया है। अन्य न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2005 पेज 233 पेश की है, जिसमें यह कथन किया गया है कि वसीयत के फर्जी होने बाबत् जो कथन करता है, सिद्ध

कराने का दायित्व उसका होता है। तद्नुसार यह नजीरें भी इस प्रकरण से प्रसांगिक है।

प्रकरण में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं :–

1. आर.बी.जे. (22) 2015 हाईकोर्ट पेज 412
2. आर.आर.टी. 2005 (2) पेज 1330
3. आर.आर.टी. 2006 (2) पेज 923
4. आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 139
5. आर.एल.डब्ल्यू. 2011 (1) सुप्रिम कोर्ट पेज 662
6. आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 466
7. आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 1140
8. आर.बी.जे. 2009 पेज 312
9. आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 277
10. आर.आर.टी. 2006–07 (Supp.) पेज 59
11. आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 196
12. ए.आई.आर. 1972 सुप्रिम कोर्ट पेज 2492
13. 2007 (2) सी.सी.सी. 75 (सुप्रिम कोर्ट) पेज 74
14. वसीयत के सिद्धान्त
15. आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 218

उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरों का विवेचन करने से यह सुस्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में पक्षकार ने वसीयत को वोईडेबल अथवा अवैध होने बाबत् कथन किया है, उन प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को यह निर्देशित किया गया है कि वह वसीयत को वोईडेबल अथवा अवैध होने की घोषणा के लिए सिविल न्यायालय से तय करवाये। इस प्रकरण में पंजीकृत वसीयत उपलब्ध है तथा पंजीकृत वसीयत को रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संदिग्ध होना कहता है तो यह सिद्ध कराने का दायित्व प्रतिवादी पर है, न कि वादीगण पर। तद्नुसार अपीलान्ट अपने काश्तकारी अधिकारों का निर्धारण पंजीकृत वसीयत के माध्यम से राजस्व न्यायालय से करवाने को सक्षम है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के भार सिद्ध कथनों को प्रमाणित हुए बिना अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। इस प्रकरण में हम माननीय उच्च

न्यायालय के समान प्रकरणों के तथ्य एवं निष्कर्ष जो कि इस प्रकरण में सुस्पष्ट होते हैं, उद्धृत किया जाना उचित समझते हैं :–

Sukhpal Singh vs State Of Rajasthan And Ors. on 2 February, 1998

Equivalent citations: AIR 1998 Raj 103, 1998 (1) WLN 118

Author: B Chauhan

Bench: B Chauhan

FACTS

3. During the pendency of the suit, the petitioner-defendant filed an application before the competent Revenue Authority that the suit may be dismissed as it did not disclose any cause of action and the order to be passed under Order 7, Rule 11, C.P.C. Moreover, the suit was not maintainable before the Revenue Authority and such a declaration can be made only by the Civil Court. Thus, the plaintiff be relegated to the Civil Court for the said relief. The competent authority rejected the said application vide order dated 31-1-1992 (Annexure-P.2). The revenue authority has clearly mentioned that the plaintiff had not sought a declaration of cancellation of the Will, rather it was a case of ignoring the Will being forged and fabricated document. Thus, the revenue authority was competent to proceed with the matter.

FINDING & CONCLUSION

25. If in the light of the above, the instant case is examined, it is abundantly clear that if the facts stated, the grounds and allegations and the averments made therein are taken into consideration in totality, it is abundantly clear in sum and substance that the respondent No. 3-plaintiff has made a grievance that the Will, on the basis of which the present petitioner-defendant has got the mutation, is void being a forged and fabricated document as it had never been executed by their father Ishar Singh. If the Revenue Court comes to the conclusion that it was never executed by late (Shri) Ishwar

Singh, it is not necessary for the Revenue Court to declare it a nullity as it can be simply ignored and in that situation, by ignoring the said Will, the other reliefs claimed by the respondent No. 3-plaintift can be granted by the Revenue Court as according to the averments in the plaint, neither the body nor mind of Shri Ishar, Singh accompanied the alleged Will and the said instrument, being non est, is just to ,be ignored. Moreover, this petition has arisen only against an order passed on the application filed by the: petitioner-defendant under Order 7, Rule 11, C.P.C. and it is settled law that such an application cannot be entertained and allowed where the validity of a particular document is under challenge.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि यदि वादी स्वयं भी किसी वसीयत को संदिग्ध कहकर आता है तो भी राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर साक्ष्य सबूत के आधार पर विनिश्चयन किया जा सकता है, जब तक कि वादी द्वारा किसी वसीयत को शून्य/ वोईडेबल घोषित किये जाने का वाद पेश नहीं किया गया हो। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों की पूर्ण अनवीक्षा किये बिना अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान की प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात विरचित कर साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गणेश पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

बनाम

गंगा पिता स्वर्गीय गोपा जी डांगी, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**112/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**09**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हुक्मसिंह देवड़ा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कैलाश नागदा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2017** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।